

अंचल अधिकारी होपमैनी कार्यालय
अभिलेख बाद संख्या- 4 (v) 2016-17

बाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच
एव कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा. दिनांक-13.05.2016
सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि
सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा. दिनांक-03.09.1985
एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा. दिनांक-09.12.1998 में निहित
निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच
प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अनौद्वारा प्रतिवेदित किया
गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- सोह्यापुर थाना- 128 खाता संख्या- 61 प्लॉट संख्या- 283
284, 282, 283 रकबा- 0.68 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार
278 (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11
के जिल्द संख्या- 7 के पृष्ठ संख्या- 22 पर जमाबंदी रैयत अंजल सिंह पिता
के नाम से कायम है। मेधलाक सिंह

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की
भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।


हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत
होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के
आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार
पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं
राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की
सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम
1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से
संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें,
कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार
अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया
जाय।

अभिलेख दिनांक- 01/11/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी


अंचल अधिकारी


5-11-2020


अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करते हेतु समय का मौंग किया गया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा मोहनपुर मौजा नं० 129 खाला नं० 61 प्लॉट नं० 283, 284, 259, 298 रकबा 9.08

से संबंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरुआ खाले की भूमि है। जिसका पंजी 11 के जमाबंदी भोलुम नं० I के पृष्ठ सं० 72 में रैयत महंत सिंह मिथनाथ सिंह सा० - मोहनपुर, तोपचौची के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रौधिकार कॉलम में, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / सांदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(i) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
तोपचौची।


अंचल अधिकारी,
तोपचौची।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी श्रेयत का नाम :- मेगल सिंह पिता मेघलाल सिंह

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा मोहापुर धाना सं० 128 खाता सं० 61 प्लॉट सं० 283, 284 रकबा 3.08 ए०
257, 278

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं० 72 पर कायम है

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - ज्ञ नहीं है

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आकाद खास

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - ज्ञ नहीं है

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी श्रेयत का नाम - X

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - अवैध भूबंदोबस्ती)

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूलपूर्व जमींदार द्वारा

दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हरतांतरण पंजी) बंदोबस्ती पंजी के इन्फ़ॉर्मेशन के

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	673 036	6.1.72	71-72
2	382546	19.1.73	72-73
3	1500 14	6.1.74	73-74
4	072568	10.2.75	74-75
5	102860	12.1.76	14.1.76
6	117 809	9.1.78	77-78
7			

म

He
(K.E.H. No 111)